



संख्या : 25/2026/732/94-1-2026-312(125)/2024

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक : 27 मार्च, 2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2030 स्टाम्प 03 पंजीकरण, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट के मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-388/नौ-104(मुख्यालय)/2025-26 दिनांक 26.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निर्देशन तथा प्रशासन, 05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेन्ट के मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु यू०पी०डेस्को के पत्र संख्या-D/25-26/4771 दिनांक 23.03.2026 के साथ संलग्न टैक्स इनवॉइस संख्या: TI/25-26/1136 दिनांक 23.03.2026 के अनुसार सात माह की अवधि (माह अगस्त, 2025 से फरवरी, 2026) हेतु कुल धनराशि रु० 24,72,846.00/- (रुपये चौबीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ छियालीस मात्र) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। जिसका विवरण निम्नवत है:-

सारणी

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	मानक मद	प्रावधानित धनराशि	उपलब्ध धनराशि	स्वीकृति प्रदान की जाने वाली धनराशि
1	05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेन्ट के मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं	60,00,00,000	52,28,00,000	24,72,846.00/-

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू० 24,72,846.00/- को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के “अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट के मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं” के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।